5.6.24 वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पत्रावली सिराट से तलब की गई। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है, अब प्रार्थी प्रा०पत्र को आगे नही चलाना चाहता है। और कोई कार्यवाही नही चाहता है, अतः प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारीज फरमाया जावे।

मैने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रकरण का अध्ययन किया। न्यायहित मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रकरण इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। दिनांक 16.6.23 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा भी खारीज की जाती है, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उगमलाल जाट
Gndlal

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:55:52 IST
Reason: SelfAttested